| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07-08-2025 | पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से ग्राम दरीबा की वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1906, 1907, 1913/2 कुल किता 03 कुल रकबा 2.6049 हैक्टयर भूमि के संबंध में जरिये प्राथमिक डिक्री निर्णय दिनांक 07.01.2025 की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो गए है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार द्वारा जरिये सूचना पत्र दिनांक 09.06.2025 में दिनांक 13.06.2025 को वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु मौके पर उपस्थिति बाबत् सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादी एवं समस्त प्रतिवादीयों के हस्ताक्षर है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये मौका रिपोर्ट पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है। साथ ही तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये नक्शा कुरेजात पर भी समस्त पक्षकारान् के हस्ताक्षर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव मौके पर सभी पक्षकारान् की उपस्थिति में तैयार किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकारान् की कोई असहमति दर्ज नहीं है। अतः तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर समस्त पक्षकारान् की सहमति प्रथम दृष्टया स्पष्ट होती है। अतः वादग्रस्त भूमि ग्राम दरीबा की आराजी संख्या 1906, 1907, 1913/2 कुल किता 03 कुल रकबा 2.6049 हैक्टयर भूमि बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।<br><br>निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।<br><br>7/8/25<br>(अरुण कुमार जैन)<br>सहायक कलक्टर<br>भीलवाड़ा<br>सहायक कलक्टर<br>भीलवाड़ा | |

**मूल वाद में डिक्री**
**(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)**

# न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भंवर लाल पिता डालचंद जाति तेली आयु वयस्क निवासी दरीबा हाल निवासी आजादनगर, भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1. कंवर लाल पिता डालचंद जाति तेली आयु वयस्क निवासी दरीबा हाल निवासी आजादनगर, भीलवाड़ा
2. मूलचंद पिता डालचंद जाति तेली आयु वयस्क निवासी दरीबा हाल निवासी आजादनगर, भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
## बाबत् विभाजन आराजियात

प्रकरण संख्या 81/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री हरदयाल वर्मा उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 07.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादग्रस्त भूमि ग्राम दरीबा की आराजी नम्बर 1906, 1907 व 1913/2 कुल किता 03 कुल रकबा 2.6049 हैक्टयर भूमि बाबत् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है।

7/8/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा